विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तारांकित प्रश्न संख्या : 5120

उत्तर की तिथि : 14.03.2022

विषयः : **स्थायी पालिसी**

प्रश्नकर्त्ता का नाम : **श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा)**

सम्बन्धित मन्त्री : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

क्र.सं	प्रश्न	उत्तर
(क)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट हल्थ सोसायटी में कितने कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं तथा नियुक्त कर्मचारियों की स्थायी पॉलिसी के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति की कोई योजना हैं; यदि हां, तो ब्यौरा दें;	(क),(ख),(ग), (घ) व (ङ) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है ।
(ख)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कर्मचारी हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसायटी में पिछले लगभग 25 बर्षों से कार्य कर रहे हैं, विभाग ने उनके हितों की सुरक्षा के लिए क्या–क्या पग उठाए हैं; क्रमवार ब्यौरा दें;	
(ग)	हिमाचल प्रदेश सरकार की notification No Health-A-B(15)-5/2014-L-Misc दिनांक 28th March 2016 का अभी तक हिमाचल प्रदेश	

	राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए लागु क्यों नही किया गया; ब्यौरा दें;	
(घ)	भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार “Public Health being a state subject की परिभाषा के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक स्थायी निति क्यों नही बनाई ह; ब्यौरा दें; और	
(ड)	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित (90:10 Ratio) सर्व शिक्षा अभियान व मनरगा के कर्मचारियों के लिए स्थायी निति व Regular Pay Scale with DA and all other allowances का प्रावधान किया है; इसी तर्ज पर राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग में अभी तक हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के अन्तर्गत कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए स्थायी निति व नियमित पे स्केल क्यों नहीं कर पाई; पूर्ण ब्यौरा दें?	

तारांकित प्रश्न संख्या 5120 जो कि श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित उत्तर:-

क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट हल्थ सोसायटी में इस समय लगभग 1150 कर्मचारी अनुबन्ध एवं लगभग 1230 आउटसोर्स आधार पर कार्यरत है। इनके सेवा सम्बंधी मामलों के समाधान हेतु 08.02.2022 को एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल ह।

ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुबंधित कार्यरत कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जा रही हैं:

1. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मासिक वेतन जो कि विभाग द्वारा कुछ कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों का वर्ष 2009 से व शेष के लिए 2013 से संशोधित किया गया।
2. वर्ष में 10 दिनों का पुरे वेतन पर चिकित्सा अवकाश ।
3. 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि।
4. 3 वर्ष एवं 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी।
5. ई.पी.एफ नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को ई.पी.एफ की सुविधा।
   महिला कर्मचारियों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अवकाश की सुविधा।

ग) 28.3.2016 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए **मामला वित्त विभाग से उठाया गया** जिसमें **कि** वित्त **विभाग ने प्रस्ताव में सहमति न देने पर खेद जताया क्योंकि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को वेतनमान आदि प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य समितियों , बोर्डों और निगम आदि को अनुदान नहीं देती है , इसलिए समितियों को धन या वित्तीय सहायता देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अधिकांश सोसायटी केंद्र सरकार द्वारा** वित्त **पोषित हैं जैसे एनएचएम आदि और राज्य सरकार के पास ऐसी सोसायटियों में कोई फंडिंग नहीं है ।**

प्रदेश सरकार इस मिशन के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सम्बंधी मामलों के प्रति जागरूक है। इस संदर्भ में 03.02.2022 को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी सेवा सम्बंधी मामलों के परीक्षण हेतु एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें की कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल है। 08.02.2022 को इस कमेटी का गठन कर दिया गया है।

घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जिसके अर्न्तगत स्थाई करने का कोई प्रावधान नही है।

ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक स्थाई संस्था नही है तथा इसका नवीनीकरण वार्षिक आधार पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस मिशन को जारी रखने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाता है जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार केवल अनुबन्ध या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ही सहयोग प्रदान करेगी।